

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, घौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक— शिविरा/माध्य/संस्था/एफ—1/12102/शा.शि. ग्रेड—।।।/सी.भ/ यो—। /2017—18 /दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। मर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु गैर अनूसूचित क्षेत्र(non tsp) के पदों हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शैक्षिक/प्रशिक्षिक यौवनता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थीयों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। को राजस्थान सिपिल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल —10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षालीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन रसान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
40	8089	511175	KAMLESH KUMARI	SHADI RAM	17-Dec-86	MBC	D/O SHADI RAM VILLAGE NANGLIYA POST BHIVADI PIN-301019 DISTT-ALWAR	GOVT.U.P.S. HEADALPUR(08080511601)	SAIPAU	

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्राक्षानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदाती पैशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यालयी राज्य सरकार के पत्रांक—प.17(8)शिक्षा-2/2013 जयपुर दिनांक 15.11.2019 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार दिनांक 07.12.2019 को आयोजित परामर्शी शिविर में पदस्थापन कर संबंधित सरकारी पदार्थकालीन वेतन लेवल—10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षालीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700 रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन रसान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड।।। के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अस्थर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सहाम विकितसा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारथ प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव में किसी भी अस्थर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवार्थ कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एक 7(1)डीओपी/ए-2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अस्थर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संकेती आशय का आवश्यक शपथ पत्र नियमित प्रारूप में 50/- रुपये को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

3. विवाहित अस्थर्थियों के मामले में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजियन अनिवार्य करने संबंधि प्राचयान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बंधि आशय का 50/- रुपये को नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. परिवीक्षालीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में फिक्स रेमुनेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भल्ले यथा महगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महगाई वेतन(डीपी),विशेष वेतन,वोनस आदि देय नहीं होगा।

5. परिवीक्षालीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए यणना योग्य नहीं माना जावेगा।

6. परिवीक्षालीन प्रशिक्षण(प्रावीशन ट्रेनी)की अवधि में इन्हे कलप्तर वर्ष में कोलब 15 दिनों का आकाशमिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक —एफ—12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

वित विभाग के आदेश क्रमांक —एफ—12(9)एफ.डी.(रुल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेशन से नवीन पैन्सन अंशदान की कटोरी नियमानुसार होगी।

7. आवेदन पत्र के साथ सलग्न अंजित शैक्षिक/प्रशिक्षिक आयु जाति आकाश सम्बन्धी व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्र की प्रति से मिलान कर उसकी एक—एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखे कोई मिन्ता / सदेह की विधियां पाये जाने पर इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करते हुये अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावे।

8. जो अस्थर्थी वी.पी.ई(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशिक्षिक योवयता घासित करते हैं उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के नियुक्ति के पात्र नहीं माने गये हैं। यदि कोई अस्थर्थी उक्त योग्यताधारी है तो संबंधित को कार्यग्रहण न कराया जाकर मूल आवेदन पत्र टिप्पणी सहित इस कार्यालय को नियायाया जाना सुनिश्चित करें।

9. यदि किसी अस्थर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं हैं तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि किये जाने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही उन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

10. अन्य पिछला वर्ष का सहाम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम गान्धी प्रमाणपत्र विता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावे। विपरीत परिस्थिति में इस कार्यालय को अवगत करावे।

11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अस्थर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चरण फोटो से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि नियुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वही है जिसका आवेदन पत्र पर फोटो चरण है।

12. चयनित अस्थर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञानी शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड—।।। मर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अस्थर्थी ये यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अस्थर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूमपान एवं गुटका सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनवचता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक— शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-१/१२१०२/शा.शि. ग्रेड- ३३/सी.भ/ वो-। /२०१७-१८ /दिनांक २९.११.२०१९ के द्वारा राज कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड ३३। भर्ती परीक्षा २०१८ के पद हेतु गैर अनूसूचित क्षेत्र(non lsp) के पदों हेतु नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया जाने के फलस्वरूप राज्य से बाहर से शिक्षक/प्रशिक्षक योग्यता प्राप्त निम्नांकित सूची में आवंटित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड ३३ को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन मान) नियम २०१७ के अनुसार वेतन लेवल -१० में प्रवेशनर ट्रेनी (परिक्षाकारीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रवेशन अवधि पर नियमानुसार देय नियत मानदेय २३७०० रुपये/माह विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जा कर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड ३३ के रिक्त पद पर पद स्थापित किया जाता है।

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name	F_Name	DOB	Sel. Cat	Address	Posting place	Block	Candidate photo
--------	-----------	----------	------	--------	-----	----------	---------	---------------	-------	-----------------

१५. चयनित अध्यर्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जोख आवश्यक रूप से करें।
१६. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अध्यर्थि से कार्मिक विभाग की अधि सूचना क्रमांक प ७(३)कार्मिक/क-२/०६ पार्ट दिनांक ०४.०२.२०१३ के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधिता(नकमतजीपदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
१७. राज्य से बाहर की प्रस्तुत रौप्यिक/प्रशिक्षक योग्यता वाले अध्यर्थियों के अंतिरिक्त पात्र उपरोक्त अध्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक २०.१२.२०१९ होगी। नियत अवधि में कार्यग्रहण न करने पर नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
१८. शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड ३३ सीधी परीक्षा-२०१८ में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन होगी।

आदर्श आचार सहित में राज्य चुनाव आयोग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति अनुसार उक्त आदेश जारी किये जा रहे हैं। नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक २८.०२.२०२० तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अन्यथा द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज़/सूचना सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस इनकी सेवा समाप्त की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर

दिनांक :- दिनांक :- २४.०२.२०२०

क्रमांक: जिशिअमुमा/धी/संस्था/२०१९-२०/शा०शि०अनुदेशक ग्रेड तृतीय/सी०भ-२०१८/२०१९/

1044

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

१. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
२. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
३. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर।
४. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक धौलपुर।
५. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर/वाडी/बसेडी/राजाखेड़ा/सैपऊ
६. संबंधित संस्था प्रधान
७. संबंधित शा०शि० अनुदेशक ग्रेड तृतीय
८. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर